बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

संख्या– 5/श्रम स्था0 (2)–11/2012 पटना, दिनांक–

राज्य प्रशिक्षण नीति 2012 के कार्यान्वयन से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–15830 दिनांक 22.11.2012 द्वारा प्राप्त निर्देशों के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–1615 दिनांक 28.5.2013 द्वारा श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को प्रभारी पदाधिकारी (प्रशिक्षण) कोषांग नियुक्त किया गया था। इनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री जय नारायण झा, वि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय प्रशिक्षण कोषांग का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. उक्त आदेश के कम में विभागीय आदेश संख्या–2328 दिनांक–15.7.2013 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी (प्रशिक्षण) को सहयोग प्रदान करने तथा श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु विभागीय प्रशाखा–4 (सांख्यिकी एवं समन्वय शाखा) को प्रशिक्षण कोषांग के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

3. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (विपार्ड) के ज्ञापांक 1307 दिनांक 19.10.2013 एवं पत्रांक 1248 दिनांक 7.10.2013 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी पदाधिकारी (नोडल पदाधिकारी) के सहयोग के लिये गठित प्रशिक्षण कोषांग, जो विभागीय प्रशाखा–4 के साथ सम्बद्ध है, में दो उप कोषांग का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:–

(i) प्रशासनिक– प्रशिक्षण के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य के लिए,
(ii) शोध एवं प्रकाशन– प्रशिक्षण हेतु पाठयकम एवं अध्ययन सामग्री के निर्माण के लिए,

4. विभागीय नोडल पदाधिकारी बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (विपार्ड) द्वारा यथानिर्देशित निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन करेंगें:–

(i) विभाग का Perspective Plan तैयार कराना, वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कराना।
(ii) प्रशिक्षण का अनुश्रवण करना, प्रतिवेदन तैयार करना।
(iii) बिपार्ड, अन्य प्रशिक्षण संस्थान एवं विभागीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
(iv) राज्य प्रशिक्षण नीति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यकम को संचालित करना।
(v) बजट तैयार करना।
(vi) Course Material/Course Content तैयार करना।
(vii) विभाग में आधारभूत संरचना (Infrastructure) तैयार करना।
(viii) समय–समय पर बिपार्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना।

5. उक्त कोषांग/उप कोषांग के लिए अतिरिक्त कर्मी की प्रतिनियुक्ति अलग से की जायेगी।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश/पत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा शेष बाते यथावत रहेगी।

7. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के अवर सचिव
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 5/श्रम स्था0 (2)–11/2012 - 2762 पटना, दिनांक– 23/9/2015

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण /निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ अपर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/श्री जय नारायण झा, विशेष कार्य पदा0 सह नोडल पदाधिकारी (प्रशिक्षण कोषांग) / सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव